बिहार सरकार
उद्योग विभाग

निबंधित

पत्रांक..... दिनांक,.....

5(स0) अपील (सरस्वती केमिकल) –23/2016

प्रेषक,

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री कृष्णानंद झा,
सरस्वती केमिकल इंन्डस्ट्रीज,
वृहत औद्योगिक प्रांगण–बरारी,
भागलपुर।

विषयः– दायर अपीलवाद सं0–28/2016 में पारित आदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री कृष्णानंद झा बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2815 दिनांक 03.07.18

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
3/7/18

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 23/2016

सर्वश्री सरस्वती केमिकल इण्डस्ट्रीज,बरारी, भागलपुर

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

23.05.2018

21/6/2018

प्रश्नगत अपील मेसर्स सरस्वती केमिकल इण्डस्ट्रीज, बरारी, भागलपुर द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 744/डी0 दिनांक 23.02.2016 के विरुद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्ता के बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें बरारी, भागलपुर में कुल रकवा 5000 वर्गफीट भूमि उद्योग लगाने हेतु कार्यालय पत्रांक 3263 दिनांक 02.11.1985 द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटित भूमि 5–6 फीट गढ्ढा जिसमें पानी भरा पड़ा रहता है। साथ ही आवंटित भूमि पर चार फलदार आम के वृक्ष है जिसे नहीं काटने का मौखिक आदेश बियाडा केप्रबंध निदेशक का था। गढ्ढे भूमि को भरवाने में अत्यधिक पैसे लग गये। बिहार राज्य वित्तीय निगम पटना से 4.0 लाख टर्म लोन स्वीकृत हुआ परन्तु मात्र 2.23 लाख ही मिला । भारतीय स्टेट बैंक से 2.71 लाख स्वीकृत हुआ लेकिन आवश्यक कागजात के चलते नहीं मिला। वर्ष 2014 में रोड ऊँचा एवं नाला तोड़ देने के कारण फैक्ट्री के अन्दर 3–4 फीट पानी 20–20 दिनों तक रुम में रहने से अलमीरा एवं लकड़ के समान बर्बाद हो गये। जेनरेटर सेट छप्पन हजार के कुड़े हो गये। आखिर काम रोक देना पड़ा। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 744/डी0 दिनांक 23.02.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि संदर्भित इकाई द्वारा अनुमत शर्तों के आलोक में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि भूमि का उपयोग आवासीय परिसर के रुप में किया जा रहा है।

अपीलकर्ता के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकनोंपरान्त अपीलकर्ता को यह निदेश दिया जाता है कि वे बियाडा द्वारा अनुमत उद्योग को ही स्थापित करें। सम्प्रति महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को निदेश दिया जाता है कि उक्त इकाई का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित समर्पित करें। निरीक्षण प्रतिवेदन में यह अवश्य अंकित किया जाए कि क्या इकाइ द्वारा भूमि का उपयोग आवासीय परिसर के रुप में किया जा रहा है। निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रश्नगत अपील की सुनवाई हेतु तिथि का निर्धारण किया जायेगा।

21/6/2018

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/6/2018

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Osd leater 1